देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्यौगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2024/mmp/13 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 23 मार्च 2024

दांतों के डॉक्टर की दादागिरी!!

बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना नक्शे पास करवाए,बिना सेटबेक छोड़े और बिना पार्किंग व्यवस्था के आवासीय भूखंड पर बना रहा अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग!!

जेडीए के जोन-7 मे स्थित भूखंड संख्या जी-8,वैशालीनगर नगर पर बन रही अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग का मामला

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

		/laduram jain		216.67 SQ. YARD	216.67 SQ. YARD	216.67 SQ. YARD			
5	1001025544	SHRI PUNIT CHABDA /SUBASH CHaND CHABDA	Residential	08/11/1985 216.67 SQ. YARD	18/04/1988 216.67 SQ. YARD	29/07/2013 216.67 SQ. YARD			View
6	1001025551	SAROJ KHRRA /rajendra kharra	Residential	06/05/2008 181.15 SQ. YARD	20/06/2008 181.15 SQ. YARD	28/05/2010 216.66 SQ. YARD			View
7	1001025568	RAKESH KUMAR NIGAM /RADHE BIHARI NIGAM	Residential	21/08/1986 216.67 SQ. YARD	05/08/1987 216.67 SQ. YARD	18/01/1991 216.67 SQ. YARD			View
8	1001025575	DR.ASHOK KUMAR BARDWAJ & GIRDHARI L / GIRDHARI LAL	Residential	11/08/1985 216.67 SQ. YARD	27/07/1987 216.67 SQ. YARD	05/10/2006 216.67 SQ. YARD			View
9	1001025582	SHRI OKAR SINGH /SHRI BIHARI LAL	Residential	08/11/1985 216.67 SQ. YARD	27/02/1988 216.67 SQ. YARD	01/03/2000 216.67 SQ. YARD			View
10	1001025599	BELA. S. ARODA / Tranfered Date 05/06/2013	Residential	08/11/1985 216.67 SQ. METER	15/01/1988 216.67 SQ. METER				View

क्या है जेडीए के जोन-7 मे स्थित भूखंड संख्या जी-8,वैशालीनगर पर बन अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग का मामला??

आपको बता दें कि जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार, जेडीए के जोन-7 मे स्थित 216 वर्ग गज का आवासीय भूखंड संख्या जी-8,वैशालीनगर डॉक्टर अशोक भारद्वाज और गिरधारी लाल के नाम दर्ज है,जिस पर पूर्व मे मकान बना हुआ था|वर्तमान मे उस मकान को ठंडा कर,उस पर बिना आवासीय से मिश्रित/व्यवसायिक मे भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना नक्शे पास करवाए,बिना सेटबेक और पार्किंग नियमों की पालना करवाए, बेसमेंट सहित चार मंजिला अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग का मौके पर निर्माण कार्य किया जा चुका है|सूत्रों के अनुसार इस अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग पर इसके ऊपर भी दो अतिरिक्त अवैध फ्लोर बनाए जाएंगे|

यह भूखंड वैशाली नगर के व्यस्ततम मार्ग पर स्थित है|जहां पर सुबह-शाम ट्रेफिक जाम की स्थिति बनी रहती है लेकिन अब इस भूखंड पर अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग के बन जाने से ट्रेफिक का क्या हाल होगा अब शायद इसका भगवान ही मालिक है|इस अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग के बन जाने से जहां पर एक और जेडीए को राजस्व का नुकसान होना तय है वहीं दूसरी और भवन विनियमों की धज्जियां उड़ने के साथ साथ ट्रेफिक की भारी समस्या होना भी तय है|लेकिन लगता है इस व्यस्त रोड से दिन रात गुजरने वाले जेडीए,पुलिस और नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों को यह अवैध निर्माण नजर नहीं आ रहा है तभी तो मात्र दो महीने मे ही 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया है|

डॉक्टर बना बिल्डर!!

सूत्रों के अनुसार इस भूखंड को वैशालीनगर के गौतम मार्ग पर स्थित सिग्नेचर टावर के बेसमेंट मे मल्होत्रा डेंटल सेंटर के नाम से डेंटल क्लिनिक चलाने वाले डा. अनुज मल्होत्रा द्वारा खरीदा जा चुका है और वही इस भूखंड पर नियम विरुद्ध अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है|डा. अनुज मल्होत्रा द्वारा इस अवैध बिल्डिंग के बेसमेंट,ग्राउन्ड और ऊपर के दो तलों को मोटे किराये पर देने का बोर्ड भी लगा दिया है|साथ ही इस बिल्डिंग के अन्य दो तलों पर अपना डेंटल क्लिनिक बनाया जाएगा|

अवैध निर्माण करवाने मे,ना भू-उपयोग परिवर्तन करवाने की जरूरत और ना ही नक्शे पास करवाने की झंझट!!!

पहले की स्थिति

वर्तमान स्थिति

आपको बता दें कि JDA भवन विनियमों के अनुसार आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक निर्माण करवाने के लिए सरकार की भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रस्ताव रखना पड़ता है,जिसकी अनुमति उपरांत ही नक्शे पास करवाकर,व्यवसायिक निर्माण किया जा सकता है|इस पूरी प्रक्रिया से जेडीए को राजस्व प्राप्त होता है|लेकिन शायद अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग का निर्माण करने वाले इन झंझटों मे नहीं पड़ना चाहते जिसके चलते ही जेडीए के अधिकारियों से साँठ गांठ कर,अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग को खड़ा कर दिया जाता है|

क्या जेडीए करेगा दांतों के डॉक्टर की इस अवैध बिल्डिंग पर कार्यवाही?

जेडीए की नव नियुक्त आयुक्त मंजु राजपाल द्वारा अवैध निर्माणों पर सख्ती के आदेश जारी किए हुए है|देखना यह है कि यह मामला जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान मे आने के बाद वह इस अवैध बिल्डिंग को सील करते है या फिर दांतों के डॉक्टर से अपने दांतों का इलाज करवा कर आ जाते है|

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1	भूखंड का पता	आवासीय भूखंड संख्या जी-8 वैशालीनगर ,जयपुर
2	संभावित गतिविधि	बिना सक्षम अनुमति,बिना भू-उपयोग परिवर्तन,बिना नक्शे पास करवाए,बिना सेटबेक छोड़े,बिना पार्किंग व्यवस्था के,आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक निर्माण
3	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन-7
4	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक,श्री महेंद्र शर्मा
5	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	23/03/2024

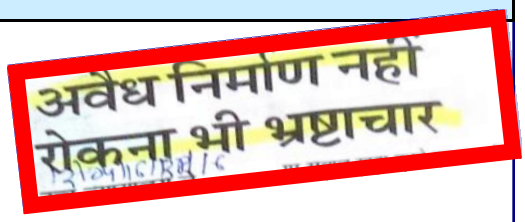

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंडों का व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया जा रहा है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मानदंडो का पालन किया जा रहा है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी है?
5. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड यू.डी. टैक्स जमा करवा दिया गया है?
6. यदि अवैध निर्माणकर्ता द्वारा इस कार के शोरूम के निर्माण मे किसी प्रकार की अनियमितता बरती गयी है तो उसके जिम्मेदार सक्षम प्राधिकरण के कौन-कौन अधिकारी है?
7. यदि इस बिल्डिंग मे नियम विरुद्ध निर्माण करवाया जा रहा है तो क्या जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार;मे दिये गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
8. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध जेडीए को आज दिनांक तक कोई शिकायत नई प्राप्त हुई है क्यूँ उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?
9. इस अवैध बिल्डिंग के बन जाने से यहाँ होने वाले ट्रेफिक जाम का जिम्मेदार कौन अधिकारी होगा?
10. क्या अब हर अवैध निर्माण के लिए आम जन को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा?